ANNEXURE-II

Proceedings of Environmental Public Hearing for the Environmental Clearance on the proposal submitted by M/s Feel Organic Products, Village and Post Office Sadarpur, Near Medical College, Tehsil Nagrota Bagwan, Distt. Kangra, H.P. for Formaldehyde manufacturing unit (100 KLD) proposed to be estalished at Plot No. 03, Industrial Area [illegible] Phase II, Tehsil Dehra, Distt. Kangra, H.P.

Annexure - II

Hearing to express their views, comments, suggestions and objections regarding this proposed project without any fear and pressure from any corner.

Videography of the public hearing was carried out. Accordingly the proceedings of the Environmental Public Hearing were recorded and the same are reproduced here as under:

Sr. No.	Name & Address	Issues/Suggestions raised	Reply
1.	Sh. Rakesh Dogra, Village Chaplah, and Shop: Chanour Bazaar, District Kangra H.P.	He asked about the meaning of ZLD in detail.	The Project Consultant explained that ZLD means- "Zero Liquid Discharge", which means no waste water will discharged outside the unit premises & all the waste water will be treated inside the unit premises.
		He asked that as you informed about the distance of Pong Dam which is 2.60 km from this proposed site but our population (residential colonies/area) is merely 20-25 meters away from here. It has been only 50 to 60 years since this Pong Dam was constructed. Along with it, the distance of National Highway (NH)-503 (Dhaliyara to Dharamshala) is 8.3 kms & the link road (Dhaliyara to Dadasiba) is at a distance of 1.5 km, but no information of these roads & residential colonies has been given by the project consultant. Please explain about the same.	It was informed by the project consultant that whenever the environmental review of a project is done, the eco-sensitive zone around that project is studied first. Therefore, in relation to your question, I want to inform you that Pong Dam is an eco-sensitive zone as notified by the government. The category of this project has been changed only because of this eco-sensitive zone. According to the Government notification, all the eco-sensitive zones falling within the radius of 10 meters will be examined. This area is notified as industrial area, which has been notified for the development of industries. That's why the road details were not mentioned in this because we are prioritizing the study/analysis of eco-sensitive zone first. Apart from this, no pollution will be generated from our unit and this unit is being established in the notified industrial area.
		He asked about the pollution to be caused by this chemical factory.	It was informed by the consultant of the project that this unit is based on ZLD technology and in this unit, domestic wastewater (sewerage generated from toilet)

			will be treated in septic tank. Apart from this, 33 percent of Green area will be developed. It will not generate any polluted air. In this project, all the waste will be treated inside the unit and no waste water will be discharged outside the unit premises. This project will not have any bad effect on the nearby houses, trees and plants. Apart from this, pollution control equipment worth Rs 70 lakh will be installed in this project and in addition to it Rs 08 lakh will be spent on maintenance every year. The chairman has urged the project consultant to explain more about subject of the unit and its benefits to them. It was informed by the Project Consultant that only Formaldehyde would be produced in this project, which is a type of resin used as glue in plywood industries. Apart from this, no other material will be used in this unit.
		He asked, that, as told that the medical checkup of the laborers engaged in the unit will be done in every 06 months. What does that mean, somehow the reason for the ear checkup is not due to noise pollution. Please explain about the same.	It was informed by the project consultant that after this public hearing, its EIA report will be submitted and environment clearance will be given by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, in which there are some conditions mentioned and it is the responsibility of the project owner to comply them. Further, the environment compliance report has to be uploaded on the environment portal (Parivesh Portal) every half year. Monitoring is done according to the status of the project for the preparation of Draft EIA, in which the present condition of air, noise and water is analyzed in the area. This report can be checked by anyone and a copy of it is also sent to the State Pollution Control

			Board's office. In case of any non-compliance in future, a complaint can be made to the State Pollution Control Board. According to a condition in the environmental clearance, annual checkup of the laborers working in the unit is mandatory, in which the checkup of eyes and ears is included as well.
		He asked about the medical checkup of the local people apart from the staff of the unit.	It was informed by the project consultant that during the study of the project, monitoring (study) of 07 different places was conducted, in which the surrounding residential areas are also included. As this is a ZLD based unit, the monitoring will be done within the premises of the project.
		He asked whether this project would have any ill effect on the nearby area or not. He told that Sansarpur terrace is also an industrial area, from where units are shifting due to pollution and also informed about the viral video of flooded black water in a drain due to factories in Baddi. He said that we are thankful to the government for notifying this area as industrial area but these units should not have any bad effect on our health. Like a bamboo project is going to be established here, which might have some mere side effects. Those projects which will cause pollution shall not be established here.	It was informed by the Project Consultant that this area is a notified industrial area by the Government.
		He also asked about the classification of proposed plantation area(Green Belt).	It was informed by the project consultant that plantation will be done in one third (1/3) of the total project area and this is the rule of Government of India, which has to be followed by the owner of the project, whose half yearly report has to be submitted. And to operate this unit/industry in future No Objection Certificate will have to be taken from the State Pollution Board (SPCB) and at that time also the compliance of

			these conditions will be reviewed.
		He said that this project should not cause any harm to the health of our future generations.	————
		The chairman urged all the people present to express their suggestions, ideas and complaints regarding this project without any fear and pressure.	
2.	Sh. R.S. Dadhwal, Local resident, Gram Panchayat Chanour.	He asked about the purpose of providing PPE kit from the project consultant as it was told earlier that there will be no pollution from this project.	The Project Consultant explained that PPE kit means Personal Protective Equipment kit. Industries have some rules in which wearing PPE kit is also a rule whether pollution is generating from industries or not. It has been made mandatory for the laborers working in these units to wear this PPE kit as per the rules, so that there will be no side effect on their health.
		He asked who will be held responsible if your system fails in future and due to this if pollution is caused in the surrounding area.	It was informed by the project consultant that the Pollution Control equipment to be used in the unit will be interlinked to the production. If any technical fault will occur, the production will also stop at the same time due to this technology. The problem will be fixed immediately. Whenever environment clearance is given to the unit, there is a provision of environment management cell in it, which includes the staff/employees of the same unit. This cell is established to ensure that such incidents do not happen. If such incidents will happen, appropriate provisions will be made within the unit to prevent them. Apart from this, in case of any such problem, the production will be stopped immediately so that there will be no pollution in any area due to this. Further, the matter will be brought to the notice of the project owners and it will be rectified immediately.
		He asked about employment for the local people in this project.	It was infomed by the project consultant that 37 people would be directly employed in this project on the basis of their qualifications/capability. Besides this, the local people will also get

			indirect sources of income in this notified industrial area. She told that the priority will be given to the local people only on the basis of their ability and educational qualification in employment.
		He asked the chairman and Sub-Divisional Officer, Dehra that there is also a cremation ground here and if allotment has issued already been done then why the requirement of the crematorium was not considered at that time.	It was informed by the General Manager, District Industry Centre Kangra at Dharamshala that the crematorium will be shifted from this area. The Chairman told that this question is not related to this project, but he directed the General Manager, District Industry Centre, Kangra at Dharamshala, to hold a meeting with the local residents in this regard. Apart from this, the project owner assured that if the government makes the land available, we will build a crematorium on it.
		Our land is across from this industrial area, so when the allotment of land is done here, how will we reach at our land.	It was informed by the General Manager, District Industries Centre (DIC), Kangra at Dharamshala that along with the industrial area, the facility of 2 roads will also be provided.
		He said that the people of the adjoining areas shall also be included while earmarking.	It was assured by the Chairman that for the road accessibility problem, Sub-Divisional Officer (C) Dehra and General Manager, DIC, Kangra at Dharamshala, will conduct meeting with the concerned residents and urged them to readdress the matter.
3	Sh. Gurnam Singh, Village Bharwara, Ex-Pradhan Gram Panchayat Chanour.	First of all, he thanked the Chairman and the officers and employees of all the departments present and the Pradhan, up-pradhan and local residents of nearby villages and said that I want to add something to the suggestions made by Mr. Dadhwal ji that before allotment in the industrial area by the industries department, the land for the crematorium should be re-allotted.	———
4	Sh. Balvinder Singh, Local resident Gram Panchayat Chanour.	He told that when the industrial area was notified here, the local residents were not informed about	———

		it. And when an industry is established here, no information is given to the local panchayat.	
5	Sh. Sanjeev Kumar, Pradhan Gram Panchayat Chanour.	He said that we were not given any information in writing about this public hearing which is being held in our Panchayat, due to which very few people of Chanour Panchayat have attended this public hearing and most of the people have their opinion that industries should not be established here because it will cause pollution and our Panchayat will have to suffer.	————
		The chairman once again urged all the people present to express their suggestions, thoughts and complaints regarding this project in case of any fear and pressure.	
6	Sh. Bakshish Singh Pathania, Local resident, Gram Panchayat Chanour.	First of all, he thanked the chairman and the officers and employees of the departments present and the pradhan, Up Pradhan and local residents of the nearby villages and said that there is no road left to cross this industrial area. The industrial area has been enclosed, due to which our movement from one side to the other has been stopped.	It was assured by the Chairman that for the problem of the roads, Sub-Divisional Officer (C) Dehra and General Manager, District Industry Centre, Kangra at Dharamshala were requested to contact the concerned area residents to readdress the matter in separate meeting.
7	Sh. Balwinder Pathania, Local resident Gram Panchayat Chanour.	He said that our house is adjoining to this industrial area. Due to this industrial area, all the routes of our movement have been closed. Our route/way through the middle of this industrial area is already closed due to the establishment of a unit. All these problems are related to the industry department and not related with this project.	It was assured by the General Manager, District Industry Centre, Kangra at Dharamshala that a meeting will be held with the concerned Panchayat Pradhan and the local people for the problem of the roads.
		The chairman once again urged all the people present to express their suggestions, thoughts and complaints regarding this project in case of any fear and pressure.	
8	Ms Deeksha Choudhary (ADO), Department of Agriculture, Dadasiba, Block Pragpur.	She said that you have briefed about the soil monitoring. Apart from this, agricultural works should also be kept in mind. What will be done to the waste generated after treatment in this project?	It was informed by the consultant of the project that in this project domestic sewerage will be treated in septic tank.

		She asked about the treatment of formaldehyde waste.	It was informed by the project consultant that no waste will be discharged outside the premises of the unit from formaldehyde manufacturing. Boiler operation will be done once in three to four months, evaporator will be used for its wastewater treatment to ensure that no waste water will be discharged out of the unit. So, this unit/plant is based on ZLD technology. The entire wastewater of the unit will be reused/reutilized in the unit itslef.
		She asked about the reports of plants having concentration of some heavy metals. She further asked about reports showing impact on the effects on plants, before and after the factory will established. She urged that here mostly people are farmers. The industry shall be operated after keeping in mind about these people and their agricultural work, and follow all the necessary rules.	It was informed by the consultant of the project that domestic wastewater will be reused/reutilized for plantation, which do not contain any toxic substances. The report of the study which has been done in the area of 10 km can be obtained from the Parivesh portal and also from the State Pollution Control Board. The final EIA report will also be uploaded on Parivesh Portal which can be viewed anytime by anyone. After this, monitoring will be done on every half-yearly basis, in which all the necessary parameters will be monitored.
9	Sh. Rakesh Dogra, Village Chaplah, and Shop: Chanour Bazaar, District Kangra H.P.	He also urged that most of the people here are farmers. These people and their agricultural activities shall not be influenced due to the operation of this industry.	--------------
10	Sh. Rakesh Kumar, Vice Chairman Panchayat Samiti Pragpur.	First of all, he thanked the chairman and the officers and employees of all the departments present and the pradhan, Up-pradhan and local residents of the village and said that the local people were not informed about this public hearing, as the number	--------------

		of voters in the panchayat are about 3000 and even 10 people from the local panchayats are not present here, which is a huge gap in giving information. When the industrial area was to be established here, a lot of assurance are given. I welcome the industries here. But before setting up an industry here, the local residents should be consulted. And the biggest shortcoming is that there are no local people present in this hearing here then why this public hearing is being held. Most of the people in this area are from outside. There are 08 to 09 local panchayats near the industrial area and their people from those panchayats should also be present here so that the views of those people can be heard. So I request you that this public hearing should be conducted again and 08 to 09 Panchayats shall be informed in writing by the concerned department. The views of the people should be heard in the Gram Sabha through Pradhans and Up-Pradhans. So that the benefits and harms of the industries can be heard in detail and public hearing should be conducted only after the approval of proposal in the Gram Sabha. The people of local panchayats belong to agriculture and poor class here. When the NOC was given by the Industry Department, no work was done according to this NOC. Apart from this, a NOC was given by the local Panchayat to the Industries Department, wherein the conditions as under were laid: 1. Industries department will not disturb/use any natural source and heritage places like water schemes, temples, and departmental schemes. Separate arrangements should be made for the needs of the industry.		--------------

		2. It will be mandatory for the industry to obtain a NOC from the local panchayat, which is being ignored presently. **3.** People of local panchayats should get employment in industries on the basis of merit and priority. **4.** There should be a separate provision of land for the burial/disposal of dead animals because earlier it was done at this place. **5.** There should be arrangements for the crematorium. **6.** There should also be provision for a playground in Gram Panchayat Chanour as local children of the panchayats used to play in this area and there is no other place. **7.** The roads connecting the villages of Gram Panchayat Channaur are in this area which will not be affected with this industrial area and there should be provision for the roads between the industrial area before allotment of plots. The District Industry Centre shall consult with local public for the roads in industrial area before the allotment of the industrial plots, so that people do not face inconvenience later. **8.** 02 small parks should be established in Gram Panchayat Chanour. **9.** Goushala should be established for stray animals. Proper land should be arranged for this purpose. **10.** 03 community centers should be constructed in village Chanour. **11.** Public toilets and rain shelters should be constructed in Gram Panchayat Chanour. **12.** Only those industries should be set up in Gram Panchayat Channaur which do not pollute	--------------

		the environment and do not have bad impact on health of the people. 13. A hospital should also be set up here so that the effects on the health of the people can be examined. 14. A survey should be conducted so that the basic facilities of the Gram Panchayat are not affected. Being the Vice Chairman of Samiti Pragpur, he urged that basic facilities like: Hospital, Crematorium, roads etc. should be provided in this area before allotment, so that people do not face any problems later and no such industry should be set up which pollutes the environment and urged that similar meeting should be organized with the local residents, so that all the demands raised by the public should be recorded, the plot should be allotted accordingly. We are only talking about wild life sanctuary in this public hearing, but will it not affect the health and agricultural activities of the people living in the adjacent area. If there is any loss due to the industries here then who will be responsible for it. I request the Industries Department that industries should be established here only after taking people and public representatives into confidence. Along with this, work should be done here only after the no-objection certificate of Gram Panchayat Chanour and in the next public hearing, prior written intimation should be given to all the panchayats.	--------------
11	Sh. Sanjeev Kumar, Local resident, Gram Panchayat Chanour.	He said that the issues, which have been raised by the local public here, shall be considered and shall not be limited in the papers only. There was a very old road here, which was closed, even after we opposed. Further, a drain was to be	————

		constructed along with my private land, but it was not constructed by the concerned department even after I approached all the concerned departments repetitively. However, my work was done immediately after I registered a complaint through 1100 (CM Helpline) number. Therefore, whatever demands have been raised by the people here, those should be fulfilled before the allotment of the plot.	

In addition, written issues/suggestions were received during the public hearing which are enclosed as Annexure-II.

After this, the Chairman thanked all those who were present during the public hearing and said that the suggestions were given by the public without any fear and pressure. This all has been recorded in writing and by videography also. This will be sent to Govt. of Himachal Pradesh and further decision shall be taken by the Ministry of Environment, Forest & Climate Change. At last, the Chairman thanked all the Officers, Officials of various Departments and Vice Chairman of Panchayat Samiti, Pradhan, Up-Pradhan of village and local residents.

At the end, Er. Varun Gupta, Regional Officer, H. P. State Pollution Control Board thanked all the officers of different Departments and the public for attending the Public Hearing and concluded the public hearing.

Additional District Magistrate
Kangra at Dharamshala
District Kangra (H.P.)

ANNEXURE- III

श्रीयुत फील आरगैनिक प्रोडेक्ट, ग्राम एवं डाकघर सदरपुर, नजदीक मेडिकल कॉलेज, तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा हि0प्र0 द्वारा प्लॉट न0 03, ओद्यौगिक क्षेत्र चनौर, चरण–2, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0 में फारमैल्डेहाईड निर्माण इकाई, उत्पादन क्षमता–100 के0एल0डी0 के प्रस्ताव पर सार्वजनिक सुझाव, विचार, टिप्पणियों एवं आपतियों बारे पर्यावरण जनसुनवाई के आयोजन संबधी कार्यवाही का विवरण।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 19.07.2023 को 11:00 बजे श्रीयुत फील आरगैनिक प्रोडेक्ट, ग्राम एवं डाकघर सदरपुर, नजदीक मेडिकल कॉलेज, तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा हि0प्र0 द्वारा प्रस्तावित फारमैल्डेहाईड निर्माण इकाई, उत्पादन क्षमता–100 के0एल0डी0, प्लॉट न0 03, ओद्यौगिक क्षेत्र चनौर, चरण–2, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0 के प्रस्ताव पर सार्वजनिक सुझाव, विचार, टिप्पणियों एवं आपतियां बारे पर्यावरण जनसुनवाई अतिरिक्त, जिला दण्डाधिकारी जिला कांगडा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची प्रपत्र–। पर संलग्न है। इस जन–सुनवाई के दौरान उपमण्डलाधिकारी (ना0) देहरा, उधोग विभाग के अधिकारी, खनन विभाग के अधिकारी, जल शक्ति विभाग,, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी व अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे। श्री राकेश कुमार, उपाध्यक्ष पंचायत समिति प्रागपुर, प्रधान, उप्रधान व स्थानीय जनता भी जनसुनवाई में उपस्थित रहे।

सर्वप्रथम ई0 वरुण गुप्ता, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्रंण बोर्ड द्वारा जन सुनवाई की पृष्ठ भूमि के आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत करवाया गया। इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन सुनवाई की प्रकिया आरंभ की गई और कहा गया कि इस परियोजना के सम्बन्ध में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायत हो तो वे निसंकोच किसी भय एवं दवाव के व्यक्त कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा भी परियोजना की जन सुनवाई की पृष्ठ भूमि के आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत करवाया गया और कहा गया कि इस परियोजना के सम्बन्ध में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायत हो तो वे निसंकोच किसी भय एवं दवाव के व्यक्त किये जा सकते हैं। इसके उपरान्त परियोजना के परामर्शदाता को परियोजना के प्रारूप और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में जन समूह को अवगत करवाने हेतू कहा गया ।

परियोजना के परामर्शदाता द्वारा परियोजना के प्रारूप और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आंकलन व निर्धारण के बारे में जन समूह को अवगत करवाया गया।

इस जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई । जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है:–

क. सं.	नाम व पता	मुद्दे	उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणी
1.	श्री राकेश डोगरा, गांव चपलाह, एवं दुकान चन्नौरा बजार, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होनें ZLD के बारे में बताने हेतू अनुरोध किया।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि ZLD का मतलब Zero Liquid Discharge है। इस इकाई से पानी की एक भी बूंद बाहर नहीं जाएगी और सारे गंदे पानी का उपचार इकाई के अन्दर ही किया जाएगा।

ANNEXURE-III

		उन्होंने कहा जैसा कि बताया गया कि पोंग डैम की दूरी यहां से 2.60 कि0मी0 है परन्तु हमारी आबादी यहां से लगभग 20 से 25 मीटर है। इस पौंग डैम को बने हुए 50 से 60 बर्ष ही हुए हैं। इसके साथ एन एच 503 (ढलियारा से धर्मशाला) 8.3 किमी है। और लिंक रोड (ढलियारा से डाडासिबा) 1.5 किमी है और जिसका जिक परियोजना परामर्शदाता ने नही किया और इन्होंने आबादी के बारे में भी कोई भी टिप्पणी नहीं की। इस बारे में कृपया बताया जाए।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि जब किसी परियोजना की पर्यावरण समीक्षा की जाती है तो उस परियोजना के आस–पास के ईको सेसेटिव जोन का अध्ययन किया जाता हैं। इसलिए पौंग डैम के प्रश्न के सम्बन्ध में बताना चाहती हूं कि पौंग डैम सरकार द्वारा अधिसूचित ईको सेसेटिव जोन है। पोगं डैम को इको सेसेटिव जोन में सूचित किये जाने के कारण ही इस परियोजना की केटेगिरी परिवर्तित हुई। सरकार की अधिसूचना के अनुसार 10 मीटर के दायरे में आने वाले सभी इको सेसेटिव जोन का अध्ययन किया जाएगा। यह क्षेत्र ओधौगिक क्षेत्र अधिसूचित है, जिसे उधोगों के विकास के लिए बनाया गया है। इसलिए रोड़ को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया क्योंकि हमारा सम्बन्ध ईको सेसेटिव जोन से है। इसके अलावा हमारी इकाई से कोई प्रदूषण नहीं होगा और यह इकाई अधिसूचित ओधौगिक क्षेत्र में लग रही है।
		उन्होने इस कैमिकल फैक्टरी से होने वाले प्रदूषण बारे पूछा।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि यह इकाई ZLD तकनीक पर आधारित है और इस इकाई में घरुलू सीवरेज (टॉयलेट से उत्पन्न सीवरेज) का उपचार सैफटिक टैंक में किया जाएगा। इसके साथ 33 प्रतिशत क्षेत्र में ग्रीन क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इस परियोजना से कोई भी दूषित हवा उत्पन्न नहीं होगी। इस परियोजना में सारे वेस्ट का उपचार इकाई के अन्दर ही होगा और बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इस परियोजना से आस–पास के घरों, पेड़–पोधों पर किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं पडेगा। इसके अलावा इस परियोजना में 70 लाख रुपये के प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण लगाए जाएगें और उसके अतिरिक्त 08 लाख रुपये प्रतिबर्ष रख–रखाव पर खर्च किए जाएगें। अध्यक्ष महोदय द्वारा परियोजना

			परामर्शदाता को इकाई के विषय व इसके लाभों के बारे में बताने हेतू आग्रह किया गया। परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि इस परियोजना में केवल फारमैल्डेहाईड का उत्पादन किया जाएगा, जोकि एक प्रकार का रेजीन(Resin) है जिसे प्लाई वुड इकाईयों में चिपकाने के कार्य के प्रयोग में लाया जाता है। इसे केवल प्लाई वुड इकाईयों को ही भेजा जाएगा। इसके अलग और किसी भी प्रकार का मैटीरियल इस इकाई में बनाया जाएगा।
		उन्होंने पूछा कि जैसा कि बताया गया कि इकाई में लगने बाले मजदूरों का हर 06 माह में मेडिकल चैकअप किया जाएगा इसक मतलब क्या है जैसा कि कानों के चैकअप होने का कारण ध्वनि प्रदूषण का होना तो नहीं है। इसके बारे में बताया जाए।	परियोजना परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि जैसा कि इस जनसुनवाई के बाद इसकी ई0आई0ए0 रिपोर्ट जमा करवाऐगें और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण मंजूरी प्रदान की जाएगी, जिसमें कुछ शर्ते होती हैं और उनका पालन करना परियोजना मालिक का दायित्व है। इसके साथ ही पर्यावरण अनुपालना रिपोर्ट हर छमाही में परिवेश पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। परियोजना की रिथति के अनुसार ही इसकी मानिटिरिग की जाती है, जिसमें हवा, ध्वनि एवं पानी की वर्तमान रिथति का अध्ययन किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट कोई भी देख सकता है और इसकी एक प्रति राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड कार्यालय में भी भेजी जाती है। भविष्य में कोई भी अनुपालना होने पर इसकी शिकायत राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से कर सकते है। पर्यावरण मंजूरी में एक शर्त के अनुसार इकाई में कार्यरत मजदूरों का बार्षिक आधार पर चैकअप होना अनिवार्य है, जिसमें आंखो, कानों का चैकअप वर्णित है।

		उन्होंने पूछा कि इकाई में कार्यरत मजदूरों के अलावा आस–पास के स्थानीयों लोगों का भी मेडिकल चैकअप किया जाएगा।	परियोजना परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि परियोजना के अध्ययन के दौरान 07 अलग–2 जगहों की मानिटिरिंग(अध्ययन) की गई, जिसमें आस पास के रिहायशी क्षेत्र भी है। जैसा कि यह परियोजना ZLD है तो मानिटिंरग परियोजना के दायरे में ही होगी।
		उन्होंने पूछा कि इस परियोजना का निकटवर्ती क्षेत्र पर कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि टैरेस भी एक औधोगिक क्षेत्र है, जहां से प्रदूषण के कारण इकाईयां स्थानातरित हो रही हैं और साथ ही बददी में फैक्टरियों के कारण नाले में काले पानी का विडियो भी वायरल हुआ था। उन्होंने कहा कि हम सरकार का इस क्षेत्र को औधोगिक क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए धन्यवादी हैं परन्तु इन इकाईयों से हमारे स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जेसे की यहां पर एक बांस परियोजना लगने जा रही है जिसका नाम मात्र ही कोई दुष्प्रभाव होगा। और जिन परियोजनाओं के कारण यहां प्रदूषण होगा उन्हे यहां नहीं लगाया जाना चाहिए।	परियोजना परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि यह क्षेत्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र है।
		उन्होंने पौधारोपण क्षेत्र के वर्गीकरण के क्षेत्रफल के बारे में भी पूछा।	परियोजना परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि परियोजना के एक तिहाई क्षेत्र में पोधारोपण किया जाएगा और यह भारत सरकार का नियम है जिसकी अनुपालना परियोजना के मालिक को करनी होती है, जिसकी छमाही रिपोर्ट जमा करवानी है। और भविष्य में इसके संचालन हेतू राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बार्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा और उस समय भी इन शर्तों के पालन की समीक्षा की जाएगी।
		उन्होंने कहा कि इस परियोजना से हमारी भावी पीडी के स्वास्थ्य को कोई	————

		भी नुकसान नहीं होना चाहिए।	
		अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सभी लोगों से इस परियोजना के सम्बन्ध में अपने सुझाव विचार एवं शिकायत बिना किसी भय एवं दवाव के व्यक्त करने हेतू आग्रह किया।	
2	श्री आर एस डढवाल, स्थानीय निवासी, ग्राम पंचायत चन्नौर।	उन्होंने कहा जैसा कि बताया गया कि इस परियोजना से कोई प्रदूषण नहीं होगा तो परियोजना परामर्शदाता ने पीपीई(PPE) कीट प्रदान करने के बारे क्यों कहा।	परियोजना परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि पीपीई किट का मतलब है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। उधोगों के कुछ नियम होते है जिसमें पीपीई कीट पहनना भी एक नियम है चाहे इन्ड्रस्टीज से प्रदूषण हो रहा हो या न हो रहा हो। इस पीपीई किट को नियमों के अनुसार ही इकाईयों में कार्यरत मजदूरों को पहनना अनिवार्य किया गया है। जिससे उनके स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े।
		उन्होंने पूछा कि यदि भविष्य में आपका सिस्टम फेल हो जाता है और उसके कारण आस–पास के क्षेत्र में प्रदूषण होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा।	परियोजना परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि वर्तमान में इकाईयों में लगने वाले उपकरण निर्माण कार्य से जुड़े होते हैं। यदि कोई तकनीकी खराबी आ जाती है तो उत्पादन भी इसी तकनीक के कारण उसी समय बंद हो जाएगा। और उसे तुरन्त ठीक किया जाएगा। जब भी पर्यावरण मंजूरी होती है तो उसमें एक पर्यावरण सैल होता है। उसके सदस्य उसी इकाई मे कार्यरत कर्मचारी होते हैं। उसका दायित्व होता है कि इस तरह की घटना न हो और ऐसी घटना हो तो उसके निवारण के लिए इकाई के अन्दर ही उचित प्रावधान किए जाते हैं । इसके अतिरिक्त इस प्रकार की कोई भी समस्या होने पर उत्पादन तुरन्त प्रभाव से बंद हो जाएगा ताकि इसके कारण किसी भी क्षेत्र में कोई भी प्रदूषण न हो। और परियोजना मालिकों के ध्यान में मामला लाया जाएगा और इसे तुरन्त ठीक किया जाएगा।
		उन्होंने इस परियोजना में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार बारे पूछा।	परियोजना परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि इस परियोजना में प्रत्यक्ष रुप से 37 लोगों को उनकी क्षमता के आधार पर रोजगार दिया जाएगा। इसके साथ इस

			अधिसूचित औधोगिक क्षेत्र में ओर भी अप्रत्यक्ष रुप से स्थानीय लोगों को आय के स्रोत प्राप्त होगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि रोजगार में प्राथमिकता स्थानीय लोगों को उनकी क्षमता और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही दी जाएगी।
		उन्होंने अध्यक्ष महोदय और उपमडलाधिकारी अधिकारी (ना0) देहरा से पूछा कि यहां पर एक शमशानघाट भी है और यहां आंबटन हुआ तो शमशान घाट की आवश्यकता के बारे में विचार क्यों नहीं किया गया।	महाप्रबन्धक, उधोग विभाग, कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा बताया गया कि शमशानघाट को इस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि यह प्रश्न इस परियोजना से सम्बन्धित नहीं है परन्तु उन्होंने महाप्रबन्धक, उधोग विभाग, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को स्थानीय निवासियों के साथ बैठक करने हेतू निर्देशित किया। इसके अतिरिक्त परियोजना मालिक द्वारा आश्वाशन दिया गया कि यदि सरकार जमीन उपलब्ध करबाए तो हम उस पर शमशानघाट का निर्माण कर देगें।
		हमारी जमीन इस औधोगिक क्षेत्र के आर पार है तो जब यहां पूरी तरह से जमीन का आंबटन हो जाएगा तो हम अपनी जमीनों को कैसे जाऐगें।	महाप्रबन्धक, उधोग विभाग, कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा बताया गया कि औधोगिक क्षेत्र के साथ–साथ रोड़ की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
		उन्होंने कहा कि रास्तों के लिए आंबटन करते समय साथ लगते क्षेत्र के लोगों को भी सम्मिलत किया जाना चाहिए।	अध्यक्ष महोदय द्वारा आश्वशत किया गया कि रास्तों की समस्या हेतू उपमडलाधिकारी अधिकारी (ना0) देहरा और महाप्रबन्धक, उधोग विभाग, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सम्बन्धित क्षेत्रवासियों से सम्पर्क करके मामले के निवारण हेतू आग्रह किया।
3	श्री गुरनाम सिहं, गांव भरवाड़ा, पूर्व– प्रधान ग्राम पंचायत चन्नौर।	उन्होंने सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय व उपस्थित सभी विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारी गण एवं नजदीकी गांवों के प्रधान, उपप्रधान व स्थानीय निवासियों का धन्यवाद किया	————

(२०)

		और कहा कि श्री डढवाल जी द्वारा दिए गये सुझावों में कुछ जोड़ना चाहता हूं कि उधोग विभाग द्वारा इस औधोगिक क्षेत्र में लीज का आंबटन करने से पहले शमशानघाट के लिए जमीन काटकर फिर आंबटन किया जाना चाहिए।	
4	श्री बलविन्दर सिंह, स्थानीय निवासी, ग्राम पंचायत चन्नौर।	उन्होंने बताया जब यहां औधोगिक क्षेत्र की अधिसूचना की गई, तो स्थानीय निवासियों को इसके बारें में कोई सूचना नहीं दी गई। और जब कोई उधोग लगता है तो उसकी भी कोई सूचना पंचायत को नहीं दी जाती है।	———
5.	श्री संजीव कुमार, प्रधान, ग्राम पंचायत चन्नौर।	उन्होंने बताया कि यह जो जनसुनवाई हमारी पंचायत में हो रही है, इसकी लिखित में कोई भी सूचना हमें नहीं दी गई जिसकी बजह से चन्नौर पंचायत के बहुत कम लोग इस जनसुनवाई में उपस्थित हुए हैं और अधिकतर लोगों का मत है कि यहां पर उधोग नहीं लगने चाहिए क्योंकि इससे प्रदूषण होगा और इसका खामियाजा हमारी पंचायत को भुगतना पड़ेगा।	———
		अध्यक्ष महोदय द्वारा पुनः उपस्थित सभी लोगों से इस परियोजना के सम्बन्ध में अपने सुझाव विचार एवं शिकायत किसी भय एवं दवाव के व्यक्त करने हेतू आग्रह किया।	
6.	श्री बकशीश सिंह पठानिया, स्थानीय निवासी।	उन्होंने सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय व उपस्थित सभी विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारी गण एवं प्रधान, उपप्रधान व स्थानीय निवारियों का धन्यवाद किया और कहा कि औधोगिक क्षेत्र से आर–पार के लिए कोई भी रास्ता नहीं है और जो भी रास्ते थे वह सब इस औधोगिक क्षेत्र की बजह से बंद कर दिए गये हैं। जिससे हमारा एक तरफ से दूसरी तरफ को आना जाना बंद हो गया है।	अध्यक्ष महोदय द्वारा आश्वश्त किया गया कि रास्तों की समस्या हेतू उपमडलाधिकारी अधिकारी (ना0) देहरा और महाप्रबन्धक, उधोग विभाग, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सम्बन्धित क्षेत्रवासियों से सम्पर्क करके मामले का निवारण करने का आग्रह किया गया।
7.	श्री बलबिन्दर पठानिया, स्थानीय निवासी, ग्राम पंचायत चन्नौर।	उन्होंने बताया कि हमारे घर इस औधोगिक क्षेत्र के साथ में हैं। इस औधोगिक क्षेत्र के कारण हमारे	महाप्रबन्धक, उधोग विभाग, कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा आश्वशत करवाया गया कि रास्तों की समस्या हेतू सम्बन्धित पंचायत

50

		आने–जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। पहले ही एक इकाई लगने के कारण हमारा बीच से जाने वाला रास्ता पहले ही बंद हो चुका है। और यह सभी समस्याएं उधोग विभाग से हैं इस परियोजना से नहीं है।	प्रधान व स्थानीय लोगों के साथ बैठक की जाएगी और रास्तों की परेशानी को दूर किया जाएगा।
		अध्यक्ष महोदय द्वारा पुनः उपस्थित सभी लोगों से इस परियोजना के सम्बन्ध में अपने सुझाव विचार एवं शिकायत किसी भय एवं दवाव के व्यक्त करने हेतू आग्रह किया।	
8.	दीक्षा चौधरी, कृषि विकास अधिकारी, डाडासिबा एवं प्रागपुर गांव।	उन्होंने कहा कि मिटटी की मानिटिरिंग के बारे में बताया गया। इसके अतिरिक्त इसमें कृषि कार्यो को भी ध्यान में रखा जाए । इस परियोजना में उपचार के बाद उत्पन्न हुए वेस्ट का क्या किया जाएगा।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि इस परियोजना मे घरेलू सीवरेज को सैफटिक टैंक में उपचार किया जाएगा।
		उन्होंने फारमैल्डेहाईड के वेस्ट के उपचार के बारे में पूछा।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि फारमैल्डेहाईड निर्माण से किसी भी तरह का वेस्ट बाहर नहीं जाएगा। वायलर संचालन तीन से चार महीने में एक बार होगा तो उसके वेस्ट के उपचार के लिए इवेपोरेटर का प्रयोग किया जाएगा, जिससे किसी भी तरह के गंदे पानी की निकासी इकाई से बाहर नहीं की जाएगी। इसलिए यह इकाई Zero Liquid Discharge पर आधारित है। जो भी द्रव्य निकलेगा उसे पुनः इकाई में ही प्रयोग कर लिया जाएगा।
		उन्होंने प्लांट की रिपोर्ट के बारे में पूछा जिनमें कुछ हेवी मेटलस के कनसटरेशन होते है। उन्होनें फैक्टरी लगने से पहले और बाद में पौधों पर पड़ने वाले प्रभावों की रिपोर्ट के बारे में पूछा। उन्होंने आग्रह किया कि यहां पर अधिकतर लोग किसान है और उन्हे व कृषि कार्यो को ध्यान में रखते हुए इस इकाई का संचालन करे व सभी नियमों का पालन करें।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि पौधारोपण के लिए खाद हेतू घरेलू प्रदार्थो(Domestic waste) का उपयोग किया जाएगा जिसमें कोई भी जहरीले प्रदार्थों नहीं हैं। जो अध्ययन 10 कि0मी0 के क्षेत्र में किया गया है उसकी रिपोर्ट परिवेश पोर्टल पर और राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से भी प्राप्त कर सकते हैं। अतिंम ई0आई0ए0 रिपोर्ट को भी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा जिसे आप कभी भी देख सकते हैं। इसके बाद हर छमाही आधार पर मानिटिरिंग की जाएगी जिसमें सभी जरुरी

			मानकों की मानिटिरिंग होगी।
9.	श्री राकेश डोगरा, गांव चपलाह, एवं दुकान चन्नौरा बाजार, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने भी आग्रह किया कि यहां पर अधिकतर लोग किसान है और उन्हे व कृषि कार्यो को इस इकाई के संचालन से कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए।	————
10.	श्री राकेश कुमार, उपाध्यक्ष पंचायत समिति प्रागपुर।	उन्होंने सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय व उपस्थित सभी विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारी गण एवं नजदीकी गांवों के प्रधान, उपप्रधान व स्थानीय निवासियों का धन्यवाद किया और कहा कि इस जनसुनवाई में स्थानीय लोगों को सूचना नहीं दी गई जबकि पंचायत में मतदाताओं की संख्या लगभग 3000 है और यहां पर स्थानीय पंचायतों के 10 लोग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं जो कि सूचना देने में बहुत बड़ी कमी है। जब यहां पर औधोगिक क्षेत्र का विकास किया जाना था तो काफी वायदे किये गये थे। मै इकाई लगाने वालों का यहां स्वागत करता हूं। मगर यहां पर उधोग लगाने से पहले यहां के स्थानीय निवासियों का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी कमी यह है कि जब यहां स्थानीय लोग ही नहीं है तो यह जनसुनवाई क्यों हो रही है। इसमें अधिकतर लोग बाहर से है। औधोगिक क्षेत्र के पास 08 से 09 स्थानीय पंचायतें हैं और उनके लोग भी यहां होने चाहिए ताकि लोगों के विचारों को अच्छे से सुना जा सके। अतः मै यह आग्रह करता हूं कि यह जन–सुनवाई दोवारा होनी चाहिए और 08 से 09 पंचायतों को सम्बन्धित विभाग द्वारा लिखित रुप से पत्राचार होना चाहिए और लोगों के विचारों को प्रधानों, व उप–प्रधानों के माध्यम से ग्राम सभा में बार्ड अनुरुप सुना जाए। ताकि उधोगों के लाभ–हानियों को विस्तृत रुप से सुना जा सके और ग्रम सभा में प्रस्ताव के बाद ही जन–सुनवाई का आयोजन किया जाए। यहां स्थानीय पंचायतों के लोग	————

(52)

		कृषि व गरीब वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं। जब उधोग विभाग द्वारा एन0ओ0सी0 दी गई तो उसके अनुरुप कोई कार्य नहीं किया गया, चाहे इसमें किसी की भी अनदेखी हो। इसके अतिरिक्त उधोग विभाग को स्थानीय पंचायत द्वारा जो भी अनापत्ति पत्र दिया गया उसके बिन्दू है। 1. उधोग विभाग किसी भी प्राकृतिक स्रोत एवं धरोहर से छेड़छाड़ नहीं करेगा जैसे पानी की स्कीमें, मन्दिर, विभागीय स्कीमें। उधोगों की सभी जरुरतों के लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। 2. उधोग को स्थानीय पंचायत से प्रदूषण प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। उसमें भी अनदेखी की जा रही है। 3. उधोगों में स्थानीय पंचायतों के लोगों की योगयता एवं प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मिलना चाहिए। 4. मृत पशुओं को दवाने के लिए जमीन का अलग से प्राबधान होना चाहिए क्योंकि पहले इसी जगह इन्हें दवाने का काम किया जाता था। 5. मोक्ष धाम की व्यवस्था होनी चाहिए। 6. ग्राम पंचायत चन्नौर में खेल के मैदान का भी प्रबन्ध होना चाहिए क्योंकि स्थानीय बच्चें इसी क्षेत्र में खेलते हैं और कोई अन्य स्थान नहीं है। 7. ग्राम पंचायत चन्नौर की बस्तियों को गांवों से जोड़ने वाले रास्ते इसी क्षेत्र में है उन्हे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं किया जाना चाहिए या उन्हे बीच में से गुजरने के रास्तों का प्रबन्ध किया जाना चाहिए क्योंकि विभाग द्वारा सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। महाप्रबन्धक, उधोग विभाग, कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर		

		औधोगिक क्षेत्र के आंबटन से पहले रास्तों को चिन्हित किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को बाद में असुविधा न हो। 8. ग्राम पंचायत चन्नौर की बस्तियों के साथ–2 छोटे पार्कों का निर्माण होना चाहिए। 9. आवारा पशुओं के लिए गोशाला का निर्माण होना चाहिए। उसके लिए उचित भूमि का प्रबन्ध होना चाहिए। 10. ग्राम चन्नौर में 03 कम्युनिटी केन्द्रों का निर्माण होना चाहिए। 11. ग्राम पंचायत चन्नौर में सुलभ शौचालय और वर्षाशालिका का निर्माण होना चाहिए। 12. ग्राम पंचायत चन्नौर में ऐसे उधोग लगाएं जाएं जिससे वातावरण प्रदूषित न हो और लोगों के स्वारथय पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। 13. यहां पर एक अस्पताल का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि लोगों के स्वास्थय पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच की जा सके। 14. ग्राम पंचायत की मूल–भूत सुविधाओं पर कोई असर न पड़े इसके लिए सर्बे करवाया जाना चाहिए। उन्होंने उपाध्यक्ष होने के नाते आग्रह किया कि मूल–भूल सुविधाओं जैसेः अरपताल, मोक्ष धाम, रास्तों इत्यादि की व्यवस्था आंबटन से पहले इस क्षेत्र में होनी चाहिए, ताकि बाद में लोगों को परेशानी का सामना न करना पडे और ऐसे किसी भी उधोग को न लगाया जाए जिससे वातावरण दूषित हो और आग्रह किया कि ऐसी ही बैठक अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में स्थानीय निवासियों के साथ आयोजित की जानी चाहिए, ताकि	

		सारी मांगो को रिकार्ड किया जाए, उसके अनुरुप प्लाट आंबटन होना चाहिए। इसमें केवल वाइल्ड लाईफ सैनचुरी की बात हो रही है परन्तु जो लोग साथ लगते क्षेत्र में है तो क्या उनके कृषि कार्यों व स्वास्थय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि यहां उधोगों की बजह से कोई नुकसान हो जाता है तो उसका उत्तदायी कोन होगा। मै उधोग विभाग से अनुरोध करता हूं कि लोगों एवं जन–प्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर ही उधोगों को यहां पर स्थापित किया जाना चाहिए। इसके साथ ग्राम पंचायत चन्नौर की अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद ही यहां कार्य किया जाना चाहिए और अगली बार जन–सुनवाई में सभी पंचायतों से पत्राचार किया जाना चाहिए तथा सभी पंचायत के लोगों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।	————
11.	श्री संजीव कुमार, स्थानीय निवासी, ग्राम पंचायत चन्नौर।	उन्होंने कहा कि जो भी यहां पर मुददे उठाए गयें है, वह सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए और उन पर अमल भी किया जाना चाहिए। यहां पर एक बहुत पुराना रास्ता था, जिसे हमारे कहने के बावजूद भी बंद कर दिया गया। और मेरी निजी जमीन के साथ पुलिया का निर्माण होना था, उसके लिए मेने सभी सम्बन्धित विभागों से बात की तो भी इसका निर्माण कार्य नहीं हो सका, परन्तु 1100 नम्बर पर सम्पर्क करने के बाद तुरन्त ही मेरा काम हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अतः जो भी मांगे रखी गई है, उनको प्लाट आंबटन से पहले से पूरा किया जाना चाहिए।	————

इसके अतिरिक्त जन सुनवाई के दौरान लिखित में प्राप्त हुए सुझाव, विचार एवं शिकायत, प्रपत्र–।। पर संलगित है।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी का धन्यवाद किया और कहा कि सभी ने अपने सुझाव निसंकोच किसी भय एवं दवाव के व्यक्त किए और इस बारे जो भी सुझाव दिए गये हैं, इसकी संपूर्ण कार्यवाही को लिखित व वीडियोग्राफी द्वारा भी रिकार्ड किया गया है, जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा और इस पर आगामी निर्णय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारी गण, समिति उपाध्यक्ष एवं प्रधान, उपप्रधान व स्थानीय निवासियों का जन सुनवाई में आने के लिए धन्यवाद किया।

अंत में ई० वरुण गुप्ता, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा पर्यावरण जन सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का जन सुनवाई में भाग लेने का आभार प्रकट किया ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
कांगड़ा स्थित धर्मशाला,
जिला कांगड़ा हि०प्र०